


1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.कैलाश चन्द पुत्र हरिकिशन मीना निवासी सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, कोई जवाब पेश नहीं करना चाहता है। अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरेर के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्बत 2078 पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:- अतिक्रमी श्री कैलाश चन्द पुत्र हरिकिशन मीना निवासी ग्राम सुरेर को आराजी ख० न० 1251 रकबा 40.75 हे० किस्म गैर मु० पहाड़ चारागा में से 0.20 हे० वाके ग्राम सुरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तस्रह लगान 0.40 की 50 गुणा में मु० 20.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालन लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पाट रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम हे दाखिल दफतर हो।


नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या... 11 पर पी. डी. 20/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार